

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2018-19/34627-35 दिनांक : 9.9.19
परियोजना अधिकारी,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर।

विषय : सी.सी. सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 12015-29 दिनांक 08.03.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित सी.सी. सडक निर्माण कार्य की विकास अधिकारी, पं.स. सायरा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 9.00 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है—

कार्यकारी एजेन्सी -ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु. में)

क. स.	कार्य का नाम व स्थान	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5
1	C.C. sadak may nali nirman mukhya gavn paner v sabhi gali gram Paner gram panchayat paner panchayat samiti Sayara	सायरा	1005/8.3.2019	9.00


उपरोक्त कार्य की कुल राशि 9.00 लाख जिला परिषद, दौसा से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि में से 9.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी। कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन कराया जावे।

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- उक्त कार्य की तकनीकी रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने पश्चात कार्य प्रारंभ करे तथा यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त स्वीकृत कार्य में अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित होंगे।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की

राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।

9. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
10. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय



(विकास सीताराम जी भाले) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2018-19/34627-35 दिनांक : 9.9.19
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

9. विशिष्ट सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
11. जिला कलक्टर, उदयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि जिला परिषद, दौसा से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि में से 9.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तान्तरित करें।
13. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
14. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर।
16. गार्ड फाईल।



अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर